(कृपया पक्षकारों के मध्य संविदात्मक समझौते के अनुसार कोई अन्य नियम एवं शर्तें बनाएं, तथापि, कृपया सुनिश्चित कर लें कि ऐसे अतिरिक्त नियम एवं शर्तें बनाए गए उपरोक्त नियमों एवं शर्तों अथवा इसके अंतर्गत निर्मित अधिनियम और नियम एवं विनियम के प्रति आज्ञाकारी अथवा असंगतिपूर्ण नहीं है।)

साक्षी में जहां इसमें उपरोक्त नामित पक्षकारों ने अपने संबंधी पक्ष रखे हैं और प्रमाणन साक्ष्य की उपस्थिति में उपरोक्त उल्लिखित प्रथम दिवस को हस्ताक्षर करते हुए ..... (शहर/कस्बे का नाम) में बिक्री के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिए गए नाम द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रेषित :

आबंटिती : (संयुक्त खरीददारों सहित)

(1) हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता .....

कृपया फोटो चिपकाएं फोटो के आर–पार हस्ताक्षर करें	कृपया फोटो चिपकाएं फोटो के आर–पार हस्ताक्षर करें

(1) हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता .....स्थान पर .....की उपस्थिति में

दिए गए नाम द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रेषित :

संप्रवर्तक :

(1) हस्ताक्षर (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता).....

नाम .....

पता .....

कृपया फोटो चिपकाएं फोटो के आर–पार हस्ताक्षर करें

साक्ष्य :

1. हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता .....

2. हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता .....

अनुसूची 'क' : कृपया सभी चार दिशाओं की सीमा के साथ [अपार्टमेंट/भूखंड] तथा गैरेज/बंद पार्किंग (यदि लागू हो) का विवरण दें :

अनुसूची 'ख' : अपार्टमेंट को फर्शी योजना

अनुसूची 'ग' : आबंटिती द्वारा भुगतान योजना

अनुसूची 'घ' : विनिर्देशन, सुविधाएं, संसाधन (जो इस अपार्टमेंट/भूखंड के भाग हैं)।

अनुसूची 'ड.' : विनिर्देशन, सुविधाएं, संसाधन (जो इस परियोजना के भाग हैं)।

(विक्रय के करार के अनुसूची पर पक्षकारों के बीच सहमति होगी)

* अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी नाम से ऐसा अन्य प्रमाणपत्र।

प्ररुप–क

(नियम 3(2) देखिए)

परियोजना के पंजीयन के लिए आवेदन

प्रति,

अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) विनियामक प्राधिकरण

.....

.....

महोदय,		
मैं/हम स्थान		
तहसील ..... जिला ..... राज्य		
में मेरी/हमारी परियोजना को स्थापित करने के लिए पंजीयन प्रदान करने के लिए एतद्द्वारा आवेदन करते हैं।		
1.	अपेक्षित वि ाष्टियां निम्नानुसार है :–	
	(एक)	आवेदन की स्थिति क्या

		वैयक्तिक / कंपनी / स्वत्वधारक / फर्म / सोसाइटियां / भागीदारी फर्म / सक्षम प्राधिकारी है	
	(दो)	वैयक्तिक होने की दशा में–	
		(क)	नाम
		(ख)	पिता का नाम
		(ग)	व्यवसाय
		(घ)	स्थायी पता
		(ङ)	छाया चित्र
			अथवा फर्म / सोसाइटियां / न्यास / कंपनियां / सीमित दायित्व भागीदारी / सक्षम प्राधिकारी की दशा में–
		(क)	नाम
		(ख)	पता
		(ग)	पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति
		(घ)	मुख्य उद्देश्य
		(ङ)	शासी निकाय के अध्यक्ष भागीदारी / संचालकों आदि के नाम, छायाचित्र तथा पता
	(तीन)	पेन नं0 ...	
	(चार)	उस बैंक अथवा बैंकर का नाम पता जिसके पास अधिनियम की धारा 4(2) (1) (घ) के अनुसार खाता संधारित किया जाएगा	
	(पांच)	आवेदक द्वारा धारित परियोजना भूमि के ब्यौरे	
	(छह)	संम्प्रवर्तक द्वारा पिछले पांच वर्षों में चालू की गई परियोजनाओं को संक्षिप्त ब्यौरे, क्या पूर्ण की जा चुकी है या विकसित की जा रही है, जैसी भी स्थिति हो, जिसमें उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, उनके पूर्ण होने में कोई विलंब, लंबित प्रकरणों के ब्यौरे, भूमि के प्रकार के ब्यौरे तथा लंबित भुगतान आदि सम्मिलित हैं	
	(सात)	बाह्य विकास कार्यों को शुरू करने वाला अभिकरण / स्थानीय प्राधिकरण / स्वतः	

		विकास .....
	(आठ)	नियम 3 के उपनियम (3) के अनुसार परिकलित ..... रू. की राशि के लिए क्र. ..... वाले दिनांक ..... को आदत्त डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक दिनांक ..... के रूप में पंजीयन शुल्क इत्यादि जैसे ऑनलाईन भुगतान का विवरण दें।
	(नौ)	कोई अन्य जानकारी जो आवेदक देना चाहे।
2.	मैं/हम	निम्नलिखित तीन प्रतियों में संलग्न करते हैं, अर्थात् :–
	(एक)	सम्प्रवर्तक के पेन कार्ड की प्रमाणिकृत प्रति
	(दो)	सम्प्रवर्तक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का संपरीक्षित तुलन पत्र तथा तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की संम्प्रवर्तक की आयकर विवरणियां
	(तीन)	ऐसी भूमि, जिस पर कि विकास किया जाना प्रस्तावित है, पर सम्प्रवर्तक का स्वत्व दर्शाने वाले वैध स्वत्व के अधिप्रमाणन के सहित विधिक रूप से वैध, दस्तावेजों के साथ, यदि ऐसी भूमि अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की है
	(चार)	ऐसी भूमि, जिस पर विकास प्रस्तावित है, पर भारों के ब्योरें जिसमें ब्योरों के साथ ऐसी भूमि पर किसी पक्षकार के अधिकार स्वत्व, हित अथवा नाम सम्मिलित है;
	(पांच)	जहां कि संस्थापक ऐसी भूमि जिस पर कि विकास प्रस्तावित है, का स्वामी नहीं है जहां कि संप्रवर्तक ऐसी भूमि का स्वामी नहीं है जिस पर कि विकास प्रस्तावित है जो सम्प्रवर्तक तथा ऐसे स्वामी के मध्य किए गए यथास्थिति, सहभागिता अनुबंध, विकास अनुबंध, संयुक्त विकास अनुबंध अथवा किसी अन्य अनुबंध की प्रति के साथ स्वामी की सहमति तथा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि पर ऐसे स्वामी के स्वत्व को दर्शाने वाले स्वत्व अथवा किन्ही अन्य दस्तावेजों की प्रतियां
	(छह)	आवेदन में उल्लिखित अचल संपत्ति परियोजना के लिए विधियों के अनुसार यथा प्रयोज्य, सक्षम प्राधिकारी प्राप्त अनुमोदनों तथा प्रारंभ प्रमाण–पत्र (सर्टिफिकेट) की एक प्रमाणीकृत प्रति और जहां कि परियोजना चरणों में विकसित किया जाना प्रस्तावित है, तो ऐसे प्रत्येक चरण के लिए सक्षम

		प्राधिकरण से अनुमादनों तथा प्रारंभ प्रमाण–पत्र की एक प्रमाणीकृत प्रति;
	(सात)	प्रस्तावित परियोजना अथवा उसके चरण को अनुमोदित योजना, अभिन्यास योजना तथा विशिष्टियां तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा मंजूर संपूर्ण परियोजना
	(आठ)	प्रस्तावित परियोजना में निष्पादित किए जाने वाले विकास कार्यों की योजना, उसमें प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाएं जिसमें, अग्निशमन सुविधाएं, पेयजल सुविधाएं, आपातकालीन निकासी सेवांए, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग।
	(नौ)	परियोजना के लिए समर्पित भूमि के उसकी सीमाओं सहित स्पष्ट सीमांकन के साथ परियोजना की अवस्थिति के ब्यौरे जिसमें परियोजना के अंत्रिम, बिंदुओं के अक्षांश तथा देशांतर सम्मिलित है।
	(दस)	आबंटितियों के साथ हस्ताक्षरित किए जाने के लिए प्रस्तावित आबंटन पत्र, विक्रय अनुबंधन तथा–संवहन विलेख का प्रपत्र (प्रोफार्मा)
	(ग्यारह)	परियोजना के विक्रय कि लिए प्रकोष्ठों की संख्या प्रकार तथा तल क्षेत्र (कारपेट एरिया) प्रकोष्ठ के साथ विशिष्ट छज्जे (बालकानी) के क्षेत्र अथवा बरामदा क्षेत्र तथा विशिष्ट खुले छत के साथ
	(बारह)	परियोजना में विक्रय के लिए गेराज क्षेत्रों की संख्या
	(तेरह)	रियल एस्टेट परियोजना में उपलब्ध खुले पार्किंग क्षेत्रों/और बंद पार्किंग क्षेत्रों की संख्या
	(चौदह)	प्रस्तावित परियोजना के लिए उसके रियल एस्टेट अभिकर्ताओं के नाम, यदि, कोई हो तो
	(पंद्रह)	प्रस्तावित परियोजना के विकास से संबंधित ठेकेदारों, वास्तुविक, संरचना इंजीनियर, यदि कोई हो तथा अन्य व्यक्तियों के नाम तथा पते।
	(सोलह)	प्ररूप ख में एक घोषणा
3.	मैं/हम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान तथा घोषणा करते हैं कि यह इसमें दी गई विशिष्टियां हमारी जानकारी /विश्वास के अनुसार सही हैं और मेरी/हमारे द्वारा कुछ भी छुपाया नहीं गया है।	

	तारीखः स्थानः भवदीय आवेदक के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

प्ररूप –ख

(नियम 3(4) देखिए)

भापथपत्र द्वारा समर्थित घोशणा पत्र जो संप्रवर्तक द्वारा या संप्रवर्तक द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा

अभिप्रमाणन दिनांक ..... द्वारा प्रस्तावित परियोजना के/प्रस्तावित परियोजना के संप्रवर्तक द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृत संप्रवर्तक श्री/श्रीमती..... का भापथपत्र सह घोशणा पत्र;

मैं.....प्रस्तावित परियोजना का संप्रवर्तक/प्रस्तावित परियोजना के संप्रवर्तक द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृत हूँ जो एतद्द्वारा सत्यानिष्ठा से घोशणा करता हूँ, वचन देता हूँ तथा निम्नानुसार कथना करता हूँ:

1. यह कि भूमि जिस पर विकास परियोजना प्रस्तावित है के लिये मेरे/संप्रवर्तक के पास विधिक स्वत्व है

या

भूमि जिस पर प्रस्तावित परियोजना का विकास कियान्वित किया जाना है के लिये..... .....के पास विधिक स्वत्व है

तथा

भू–संपदा परियोजना के विकास के लिये ऐसे स्वामी एवं संप्रवर्तक के बीच अनुबंध की प्राधिकृत प्रति के साथ ऐसी भूमि के स्वत्व का बैध अभिप्रमाणन इससे संलग्न है ।

2. यह कि उक्त भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त है

या

यह कि .....विल्लंगमों का विवरण जिसमें ऐसी भूमि जिस पर किसी पक्षकार का कोई अधिकार, स्वत्व, हित या नाम, विवरणों सहित सम्मिलित है ।

3. यह कि ..... समयावधि जिसके भीतर परियोजना मेरे/संप्रवर्तक द्वारा पूर्ण की जायेगी ।

4. आबंटिती से समय समय पर भू–संपदा परियोजना के लिये मेरे/सप्रवर्तक द्वारा वसूल की गई राशि के सत्तर प्रतिशत, निर्माण लागत तथा भूमि लागत के अंतर्गत अनुसूचित बैंक में, अनुरक्षण हेतु पृथक खाते में जमा की जायेगी तथा उस प्रयोजन के लिये ही प्रयुक्त किया जायेगा ।

5. परियोजना के लागत के अंतर्गत पृथक खाते से राशि, परियोजना के पूर्ण होने की प्रतिशतता के अनुपात में आहरित की जायेगी ।

6. पृथक खाते से राशि, इंजीनियर, आर्किटेक्ट एवं चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित करने की परियोजना के पूर्ण होने की प्रतिशतता के अनुपात में आहरित की गई है, के पश्चात् ही आहरित की जायेगी ।

7. यह कि मैं/संप्रवर्तक चाटर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् छः माह के भीतर संपरीक्षित खाते प्राप्त करुंगा/करेगा तथा ऐसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सम्यक् रुप से प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित लेखा विवरण प्रस्तुत करेगा तथा उसे उस दौरान सत्यापित किया जायेगा तथा परियोजना के पूर्णता की प्रतिशतता के अनुपात के साथ अनुपालन में आहरित किया जायेगा ।

8. मैं/संप्रवर्तक सक्षम प्राधिकारियों से समय पर सभी लंबित प्रकरणों पर अनुमोदन लेगा।

9. मैंने/संप्रवर्तक ने ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया है जो अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों/विनियमों द्वारा विहित किया गया है ।

10. मैं/संप्रवर्तक किसी भूमि पर यथास्थिति किसी प्रकोष्ठ, प्लाट या भवन के आवंटन के समय किसी आबंटिती के विरुद्ध पक्षपात नही करेगा ।

अभिसाक्षी

सत्यापन

उपरोक्त शपथ पत्र सह घोषणा में मेरे द्वारा दी गई विषयवस्तु सत्य एवं सही है और मेरे द्वारा कुछ भी नही छिपाया गया है ।

आज दिनांक..... दिन.....को मेरे द्वारा सत्यापित किया गया ।

अभिसाक्षी

प्ररूप–ग

(नियम 6(1) देखिए)

परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 16) के अधीन प्रदान किये गये पंजीयन के निम्नलिखित परियोजना के अधीन परियोजना पंजीयन क्रमांक .....

.....:

(परियोजना का विशिष्ट विवरण जिसमें परियोजना का पता सम्मिलित है);

1. श्रीमान/श्रीमती (व्यक्तिगत होने की स्थिति में) .....पुत्र श्रीमान/श्रीमती.....तहसील.....जिला..... राज्य.....

या

(फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी की स्थिति में) ..... फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी का पंजीकृत कार्यालय/व्यवसाय का मुख्य स्थान.....में है ।

2. यह पंजीयन, निम्नलिखित भार्तों के अध्यधीन रहते हुये प्रदान किया जायेगा, अर्थात्:–

(एक) संप्रवर्तक 'परिशिष्ट–क' में यथाउपबंधित आबंटिती के साथ विक्रय हेतु अनुबंध में प्रवेश करेगा;

(दो) धारा 17 के अनुसार अपार्टमेंट या सामान्य क्षेत्र के आबंटिती या आबंटिती के संघ जैसी भी स्थिति हो के पक्ष में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा एवं पंजीकृत करेगा;

(तीन) संप्रवर्तक, निर्माण की लागत एवं भूमि लागत के अंतर्गत अनुसूचित बैंक में संधारित की जाने वाली पृथक खाते में संप्रवर्तक द्वारा वसूल की गई राशि का सत्तर प्रतिशत जमा करेगा जिसे केवल धारा 4 की उप–धारा (2) के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (घ) के अनुसार उसी प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किया जायेगा;

(चार) पंजीयन .....से प्रारंभ होने वाली तथा .....तक समाप्त होने वाली.....तक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य होगी जब तक कि धारा 6 सहपठित नियम 7 के अनुसार भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नही की जाती;

(पांच) संप्रवर्तक अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों का अनुपाल करेगा;

(छः) संप्रवर्तक, उस क्षेत्र जहां परियोजना विकसित की जा रही है में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्रावधानों का उल्लंघन नही करेगा ।

3. यदि उपरोक्त उल्लिखित भार्तें संप्रवर्तक द्वारा पूरा नही किया जाता है तो भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के अनुसार इसमें प्रदान की गई पंजीयन के प्रतिसंहरण सहित संप्रवर्तक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा ।

दिनांकः
स्थानः

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

प्ररूप–घ

[नियम 6 (2), नियम 7 (2); नियम 8 देखिए]

परियोजना के पंजीयन हेतु आवेदन को नामंजूर किया जाना/परियोजना के पंजीयन के विस्तार हेतु आवेदन को नामंजूर किए जाने/परियोजना के पंजीयन का प्रतिसंहरण

प्रेशकः

भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

_____

_____

प्रति

_____

_____

आवेदन/पंजीयन क्र._____

दिनांक : _____

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी परियोजना के पंजीयन हेतु आपका आवेदन नामंजूर किया जाता है।

या

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी परियोजना के पंजीयन के विस्तार हेतु आपका आवेदन नामंजूर किया जाता है।

या

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी परियोजना के पंजीयन की मंजूरी एतद्द्वारा प्रतिसंहरित की जाती है।

उपरोक्त के कारण :– _____

दिनांकः

स्थानः

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

प्रारूप–ङ

(नियम 7 (1) देखिए)

प्रेषक .....

.....

.....

प्रति

रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण,

.....

.....

.....

श्रीमान्

मैं/हम निम्नलिखित परियोजना के पंजीयन के नवीनीकरण हेतु एतद् द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं :

.....

.....

.....

परियोजना पंजीयन प्रमाणपत्र के तहत प्राधिकरण के पास पंजीकृत है जिसकी संख्या..... है, यह ..... को समाप्त हो रहा है। निम्नलिखित दस्तावेज और सूचना प्रस्तुत करता हूं/करते हैं, अर्थात् :–

(एक) नियम 7 के उप नियम (2) में यथा उपबंधित के अनुसार विस्तार भाुल्क ....बैंक से.....के पक्ष में..... रूपए के तारीख..... के डिमांड ड्राफ्ट सं./बैंकर्स चेक सं..... अथवा ऑनलाईन भुगतान, जैसा भी मामला हो, ... के माध्यम से अंतरित किया गया (ऑनलाईन भुगतान का विवरण दें जैस– भुगताना की तारीख, अंतरण सं. इत्यादि)

(दो) दिनांक तक करने का वचन देते हुए विकास कार्यों की अवस्था को प्रदर्शित करते हुए परियोजना की अधि प्रमाणित प्रति;

(तीन) .....परियोजना के पंजीयन हेतु आवेदन बनाते समय प्रारूप 'ख' में प्रस्तुत घोषणा में परियोजना में विकास कार्यों की अवस्था तथा घोषित कालावधि के भीतर परियोजना में विकास कार्यों की पूर्णता का होने के कारण के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी;

(चार) सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा/अनुमोदन की अधि प्रमाणित प्रति जो उस कालावधि के लिए वैध है जो विनियामक प्राधिकरण से चाहा गया पंजीयन के विस्तार को प्रस्तावित अवधि से भी अधिक है;

(पांच) मूल परियोजना पंजीयन प्रमाणपत्र ; और

(छह) कोई अन्य सूचनाएं जैसा कि अन्य विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

दिनांकः **भवदीय,**

स्थानः **आवेदक हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा**

प्ररूप–च

[नियम 7 (4) देखिए]

परियोजना के पंजीयन के विस्तार के लिए प्रमाणपत्र

निम्नलिखित परियोजना के लिये, अधिनियम की धारा 6 के अधीन पंजीयन का विस्तार किया जाता है :

_____

_____

परियोजना पंजीयन प्रमाणपत्र भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत है, जिसकी सं. _____ है,

1. (व्यक्तिगत के मामले में) श्री/श्रीमति _____पुत्र श्री/श्रीमति _____तहसील_____ जिला_____ राज्य _____ ;

   या

   (फर्म/सोसायटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी के मामले में) _____ फर्म/सोसायटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी _____में इसका पंजीकृत कार्यालय/कारबार का प्रमुख स्थान होगा।

2. पंजीयन का यह नवीनीकरण, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन मंजूर किया जाता है, अर्थात् :–

(एक) सम्प्रवर्तक, धारा 17 के अनुसार समान क्षेत्रों के प्रकोष्ठ यथास्थिति, आबंटिती के संघ या आबंटिती के पक्ष में हस्तांतरण विलेख को निष्पादित या पंजीकृत करेगा।

(दो) सम्प्रवर्तक, धारा 4 की उप धारा (2) के खण्ड (1) के उप–खण्ड (घ) के अनुसार निर्माण की लागत तथा इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की लागत को पूरा करने के लिए, सम्प्रवर्तक द्वारा वसूली गई रकम का सत्तर प्रतिशत, अनुसूचित बैंक में संधारित रखने के लिए अलग खाते में जमा करेगा।

(तीन) पंजीयन _____से शुरू करते हुए _____के साथ समापन करते हुए _____वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा, यदि अधिनियम की धारा 7 सहपठित धारा 6 के अनुसार भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकारी द्वारा नवीकृत नहीं कराया जाता है।

(चार) सम्प्रवर्तक, अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों को साथ में लागू करेगा।

(पांच) सम्प्रवर्तक, क्षेत्र में जहाँ परियोजना का विकास किया जा रहा है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

(छः) यदि उपरोक्त उल्लिखित शर्तें, सम्प्रवर्तक द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं, तो भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकारी, अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार, इसमें पंजीयन मंजूरी को प्रतिसंहरित करते हुए, सम्प्रवर्तक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा।

स्थानः
दिनांकः

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

प्ररूप–छ

[नियम 10 (1) देखिए]

भू–सम्पदा अभिकर्त्ता के पंजीयन हेतु आवेदन

प्रति,

भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

_____

_____

महोदय,

मैं/हम, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के निबंधनों के अंतर्गत राज्य में पंजीकृत भू–संपदा परियोजना में, यथास्थिति, किसी भूखण्ड, प्रकोष्ठ या भवन के विक्रय अथवा क्रय को सुकर बनाने के लिए, भू–सम्पदा अभिकर्त्ता के रूप में पंजीयन प्रदान करने हेतु आवेदन करते हैं,

1. (व्यक्तिगत के मामले में) श्री/श्रीमति _____पुत्र श्री/श्रीमति _____तहसील_____ जिला_____ राज्य _____ ;

(फर्म/सोसायटी/कम्पनी के मामले में) ..... फर्म/सोसायटी/कंपनी जिसका कि पंजीकृत कार्यालय/कारबार का प्रमुख स्थान .....में स्थित है।

2. अपेक्षित प्रविष्टियां निम्नानुसार हैं :–

(एक) आवेदक की स्थिति, क्या व्यक्ति/कम्पनी/स्वत्वधारिता फर्म/सोसायटी/साझेदारी फर्म/सीमित दायित्व साझेदारी है;

(दो) व्यक्तिगत के मामले में –

(क) नाम

(ख) पिता का नाम

(ग) व्यवसाय

(घ) स्थाई पता

(ङ) छाया चित्र

या

फर्म/सोसायटी /कम्पनी के मामले में –

(क) नाम
(ख) पता
(ग) पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति
(घ) मुख्य गतिविधियाँ
(ङ) नाम, छाया चित्र तथा भागीदारों/निदेशकों आदि का पता ।

(तीन) आवेदक द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों का आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई आयकर विवरणी अथवा आवेदक को पिछले किसी भी तीन वर्षों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने से छूट दी गई थी तो, इस आशय की घोषणा वाला आवेदन;

(चार) पंजीयन की विशिष्टियां, जिसमें, यथास्थिति उप–विधियां, संगम का ज्ञापन, संगम के अनुच्छेद आदि सम्मिलित हों ;

(पांच) कारबार के स्थान के प्रमाण के पते की अधिप्रमाणित प्रति;

(छः) किसी अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पंजीयन का ब्यौरा ;

(सात) कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहे।

3. मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेज साथ में संलग्न करते हैं, अर्थात् :–

(एक) नियम 10 के उप–नियम (2) के अनुसार पंजीयन शुल्क के रूप में_____. के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक/बैकर्स चेक क्रमांक. _____. तारीख _____ राशि रू. _____बैंक पर आहरित अथवा ऑनलाईन भुगतान, यथास्थिति _____(ऑनलाईन भुगतान का विवरण ऐसे भुगतान की तारीख, संव्यवहार संख्या आदि) ;

(दो) यथास्थिति, पिछले 3 वर्ष की आयकर विवरणी या घोषणा;

(तीन) भू–संपदा अभिकर्त्ता के पेन कार्ड की अधिप्रमाणित प्रति; और

(चार) किसी अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में भू–संपदा अभिकर्त्ता के रूप में पंजीयन की अधिप्रमाणित प्रति, यदि लागू हो;

4. मैं/हम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा तथा घोषणा करते हैं कि इसमें दी गई विवरण मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास से सही है तथा मेरे/हमारे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

तारीख :

स्थान :

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा

प्ररूप–ज

[नियम 11 (1) देखिए]

भू–सम्पदा अभिकर्त्ता का पंजीयन प्रमाणपत्र

1. भू–संपदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 9 के अधीन यह पंजीयन प्रदान किया जाता है । पंजीयन प्रमाणपत्र धारक सं. _____को–

(व्यक्तिगत के मामले में) श्री / श्रीमति _____पुत्र / पुत्री श्री / श्रीमति_____तहसील_____ जिला_____ राज्य _____ ;

या

(फर्म / सोसायटी / कंपनी / के मामले में) _____

फर्म / सोसायटी / कंपनी / _____जिसका पंजीकृत कार्यालय / कारबार का प्रमुख स्थान _____ में स्थित है ।

को अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के निबंधनों के अंतर्गत _____राज्य सरकार में पंजीकृत भू–संपदा परियोजना में, यथास्थिति किसी भूखण्ड, बहुखण्डीय या भवन के विक्रय को सुकर बनाने के लिए भू–संपदा अभिकर्त्ता के रूप में कार्य किया जाता है ।

2. निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, यह पंजीयन प्रदान किया जाता है, अर्थात् :–

(एक) भू–संपदा अभिकर्त्ता किसी ऐसी भू–संपदा परियोजना या इसके भाग में, यथास्थिति, किसी भूखण्ड, बहुखण्डीय भवन या भवन के विक्रय या क्रय को सुकर नहीं बनाएगा, जो कि ऐसे सम्प्रवर्तक द्वारा बेचा जा रहा है जिसका पंजीयन अपेक्षित है, परन्तु जो भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हैं ;

(दो) भू–संपदा अभिकर्त्ता ऐसे लेखा, अभिलेखों और दस्तावेजों की ऐसे किताबों को संधारित तथा सुरक्षित रखेगा जैसा कि नियम 14 के अधीन में उपबंधित है ;

(तीन) भू–संपदा अभिकर्त्ता अपने आपको कि अनुचित व्यापार प्रथा में सम्मिलित नहीं करेगा, जैसा कि धारा 10 के खण्ड (ग) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट है ;

(चार) भू–संपदा अभिकर्त्ता, यथास्थिति किसी भूखण्ड, बहुखण्डीय भवन या भवन की बुकिंग और विक्रय के समय आबंटिती और सम्प्रवर्तक को अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने दायित्वों को पूरा करने हेतु समर्थ बनाने में सहायता करेगा;

(पांच) भू–संपदा अभिकर्त्ता, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा;

(छः) भू–संपदा अभिकर्त्ता, क्षेत्र जिसमें परियोजना का विकास किया जा रहा है, में तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा;

(सात) भू–संपदा अभिकर्त्ता, ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि विनियम द्वारा भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये;

3. पंजीयन _____से प्रारंभ होकर और वर्ष _____तक पांच वर्षों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगा, जब तक कि उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नहीं कर दिया जाता।

4. यदि, भू–संपदा अभिकर्त्ता द्वारा उपरोक्त उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण भू–सम्पदा अभिकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक कदम उठाएगा, जिसमें अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार प्रदान किए गए पंजीयन का प्रतिसंहरण सम्मिलित है।

तारीखः

स्थानः

भवदीय

भू–संपदा विनियामक प्राधिकारी के

हस्ताक्षर एवं मुद्रा

प्ररूप–झ

[नियम 11 (2), 12 (4), 13 देखिए]

भू–संपदा अभिकर्त्ता के पंजीयन हेतु आवेदन के निरस्त होने/भू–संपदा अभिकर्त्ता के पंजीयन के नवीनीकरण हेतु आवेदन के निरस्त होने/भू–संपदा अभिकर्त्ता के पंजीयन के प्रतिसंहरण की सूचना

प्रेषक :

भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

_____

_____

प्रति

_____

_____

_____

आवेदन/पंजीकरण सं. _____

तारीखः _____

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि भू–संपदा अभिकर्त्ता के रूप में पंजीयन हेतु आपका आवेदन निरस्त किया जाता है

या

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि भू–संपदा अभिकर्त्ता के रूप में पंजीयन के नवीनीकरण हेतु आपका आवेदन निरस्त किया जाता है

या

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि भू–संपदा अभिकर्त्ता के रूप आपका दिया गया पंजीयन एतद्द्वारा प्रतिसंहरित किया जाता है ।

निर्दिष्ट कारणः– _____

स्थानः
तारीखः

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

प्ररूप–ञ

[नियम 12 (1) देखिए]

भू–संपदा अभिकर्ता के पंजीयन के नवीनीकरण के लिए आवेदन

प्रेशक :

_____

प्रति

भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण,

_____

_____

_____

महोदय,

मैं/हम भू–संपदा अभिकर्त्ता के रूप में मेरे/हमारे पंजीयन प्रमाणपत्र सं _____ जो कि _____को समाप्त हो रहा है, के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं।

जैसा कि, अपेक्षित है मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेजों और जानकारियां प्रस्तुत करते हैं, अर्थात् :–

(एक) नवीनीकरण शुल्क के रूप में _____के पक्ष में, डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक/बैंकर्स चेक क्रमांक/ _____तारीख _____राशि _____ नियम 12 के उप–नियम 2 के अनुसार बैंक पर आहरित शुल्क अथवा ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से, यथास्थिति _____ (ऑनलाईन भुगतान का विवरण ऐसे भुगतान की तारीख, संव्यवहार संख्या आदि);

(दो) मूल पंजीयन प्रमाणपत्र ; और

(तीन) आवेदक की स्थिति, क्या व्यक्ति/कंपनी/प्रोप्राईटरी फर्म/सोसाायटीज/भागीदारी फर्म/ सीमित दायित्व भागीदारी है ;

(चार) व्यक्तिगत के मामले में –

(क) नाम

(ख) पिता का नाम

(ग) व्यवसाय

(घ) स्थाई पता

(ङ) छाया चित्र

या

फर्म / सोसाईटी / कम्पनी के मामले में –

(क) नाम

(ख) पता

(ग) पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति

(घ) प्रमुख गतिविधियां

(ङ) भागीदारों / निदेशकों के नाम, छाया चित्र और पता

(पांच) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई पिछले तीन वित्तीय वर्षों की आयकर विवरणी अथवा यदि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन आवेदक को पिछले किसी तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने से छूट दी गई थी, तो इस आशय की घोषणा वाला आवेदन;

(छः) पंजीयन की विशिष्टियां, जिसमें यथास्थिति, उप–विधियां, संगम का ज्ञापन, संगम के अनुच्छेद आदि सम्मिलित हो;

(सात) कारबार के स्थान के पते के प्रमाण की अधिप्रमाणित प्रति;

(आठ) किसी अन्य राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र में पंजीयन का विवरण;

(नौ) कोई अन्य जानकारी यथा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

तारीखः

स्थानः

भवदीय

आवेदक / आवेदकों

के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

प्ररूप–ट

[नियम 12 (4) देखिए]

भू–संपदा अभिकर्त्ता के पंजीयन का नवीनीकरण

1. भू–संपदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2016 (1961 का 16) की धारा 9 के अधीन दिया गया पंजीकरण का यह नवीनीकरण,–

(व्यक्तिगत के मामले में) श्री / श्रीमति _____ पुत्र / श्री / श्रीमति _____ तहसील _____ जिला _____ राज्य _____ ;

या

(फर्म / सोसायटी / कंपनी / के मामले में) _____

फर्म / सोसायटी / कंपनी / _____ जिसका पंजीकृत कार्यालय / कारबार का प्रमुख स्थान _____ में स्थित है । पंजीयन प्रमाणपत्र सं. _____ सन् _____ को जारी रखने के लिए दिया जाता है।

2. पंजीयन का यह नवीनीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, अर्थात्:–

(एक) भू–संपदा अभिकर्त्ता, किसी ऐसी भू–संपदा परियोजना या इसके भाग में, यथास्थिति किसी भूखण्ड, बहुखण्डीय भवन या भवन के विक्रय या क्रय को सुकर नहीं बनाएगा, जो कि ऐसे सम्प्रवर्तक द्वारा बेचा जा रहा है, जिसका पंजीयन अपेक्षित है, परंतु जो भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं है ;

(दो) भू–संपदा अभिकर्त्ता, ऐसे लेखा, अभिलेखों और दस्तावेजों की ऐसे किताबों को संधारित तथा सुरक्षित रखेगा, जैसा कि नियम 14 के अधीन उपबंधित है;

(तीन) भू–संपदा अभिकर्त्ता, अपने आपको अनुचित व्यापार प्रथा में अंतर्निहित नहीं करेगा, जैसा कि धारा 10 के खण्ड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट है;

(चार) भू–संपदा अभिकर्त्ता, यथास्थिति किसी भूखण्ड, बहुखण्डीय भवन या भवन की बुकिंग के समय समस्त दस्तावेजों, जिसका कि आबंटिती हकदार है, प्राप्त करने में सहायता करेगा;

(पांच) भू–संपदा अभिकर्त्ता, यथास्थिति किसी भूखण्ड, बहुखण्डीय भवन या भवन की बुकिंग और विक्रय के समय आबंटिती और सम्प्रवर्तक को अपने–अपने

अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने–अपने दायित्वों को पूरा करने हेतु समर्थ बनाने में सहायता करेगा;

(छः) भू–संपदा अभिकर्त्ता, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा;

(सात) भू–संपदा अभिकर्त्ता, क्षेत्र जिसमें परियोजना का विकास किया जा रहा है, में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा;

(आठ) भू–संपदा अभिकर्त्ता, ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये;

3. पंजीयन वर्ष _____ से प्रारंभ होकर और _____ तक पांच वर्षों के लिए विधिमान्य रहेगा, जब तक कि अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीनीकृत नहीं कर दिया जाता है।
4. यदि भू–संपदा अभिकर्त्ता द्वारा उपरोक्त उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, भू–संपदा अभिकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक कदम उठाएगा, जिसमें अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार प्रदान किए गए पंजीयन का प्रतिसंहरण सम्मिलित है।

तारीख :

स्थान :

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

प्ररूप–ठ

[नियम 27 (2) देखिए]

अपीलीय अधिकरण को अपील

भू–संपदा (विनियम तथा विकास) अधिनियम, 2016

(2016 का 16) की धारा 44 के अधीन अपील

प्रत्येक अपील अंग्रेजी में प्रस्तुत की जाएगी और यदि यह किसी अन्य भारतीय भाषा में है, तो इसके अंग्रेजी अनुवाद की एक प्रति साथ में संलग्न की जाएगी और इसे मानक याचिका पेपर पर एक तरफ, एक लाईन का अंतर रखते हुए, स्वच्छ और सुपाठ्य रूप में

टंकित की हुई, अश्म मुद्रित अथवा मुद्रित की हुई होनी चाहिए, जिसमें ऊपर चार सेंटीमीटर चौड़ाई का आंतरिक मार्जिन तथा दाई तरफ 2.5 सेटीमीटर का मार्जिन होना चाहिए, और सम्यक् रूप से पेपर बुक रूप में पृष्ठांकित, सूचीबद्ध तथा साथ में लगी होनी चाहिए।

अपीलीय अधिनियम के कार्यालय उपयोग के लिए :

जमा करने की तारीख .....

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख .....

पंजीयन क्रमांक .....

हस्ताक्षर .....

पंजीयक .....

समक्ष भू–संपदा अपीलीय अधिकरण (स्थान का नाम)

मध्य

..... अपीलार्थी

तथा

..... उत्तरार्थी

अपील का विवरणः

1. अपीलार्थियों की विशिष्टियांः
   (एक) अपीलार्थी का नामः
   (दो) अपीलार्थी के विद्यमान कार्यालय/निवास का पताः
   (तीन) समस्त सूचनाओं की तामिली के लिए पताः
2. प्रत्यर्थियों की विशिष्टियां :
   (एक) प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों के नाम
   (दो) प्रत्यर्थी के कार्यालय का पता
   (तीन) समस्त सूचनाओं की तामीली के लिए पताः
3. अपीली अधिकरण का क्षेत्राधिकार :
   आवेदक यह घोषणा करता है कि अपील अन्तर्विष्ट अपीली अधिकरण के क्षेत्राधिकार के भीतर आती है।

4. परिसीमा :

अपीलार्थी यह घोषणा करता है कि अपील धारा 44 की उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर आती है

या

यदि अपील धारा 44 की उप–धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमा कालावधि की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत की गई है तो विलम्ब के लिए कारण विनिर्दिष्ट करें।

5. वाद के तथ्य :

तथ्यों तथा अधिनियम की धारा/धाराओं के अधीन यथास्थिति, विनियामक प्राधिकरण या निर्णयकर्ता अधिकारी, के विनिर्दिष्ट आदेश के विरूद्ध अपील के आधारों का संक्षिप्त विवरण दें।

6. चाही गई राहतः

उपर्युक्त पैराग्राफ 5 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी निम्नलिखित सहायता के लिए प्रार्थना करता है (चाही गई राहत, राहत/राहतों के आधारों और विधिक उपबंध (यदि कोई हों) का उल्लेख की गई हैं)

7. अंतरिम आदेश, यदि प्रार्थना की गई है :

अपील पर लंबित अंतिम आदेश जिस पर अपीलार्थी ने निम्नलिखित अंतरिम आदेश चाहा है (यहां कारण सहित प्रार्थित अंतरिम आदेश की प्रकृति बताएं)

8. मामला अन्य किसी न्यायालय में विचारधीन नहीं है, आदि :–

अपीलार्थी यह और घोषणा करता है कि यह मामला जिसके संबंध में अपील की गई है, किसी विधि के न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकरण या अन्य किसी अधिकरण/अधिकरणों के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

9. नियम 27 के उप–नियम (1) अनुसार शुल्क के संबंध में बैंक के विवरणः

(एक) राशि;

(दो) बैंक का नाम जिससे आहरित किया जाए;

(तीन) डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक/बैकर्स चेक क्रमांक/ऑनलाईन लेन–देन संख्या

10. संलग्नकों की सूचीः

(एक) आदेश, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, की एक अभिप्रमाणित सत्यप्रति;

(दो) अभिलेखों की प्रतियां जिस पर अपीलार्थी निर्भर है तथा जो अपील में निर्दिष्ट की गई है;

(तीन) अभिलेखों की एक विषय सूची।

सत्यापन

मैं .....(पूरा नाम बड़े अक्षरों में) पुत्र/पुत्री ..... अपीलार्थी एतद् द्वारा, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि पैराग्राफ (1 से 10) की अर्न्तवस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है और यह कि मैंने किसी सारवान तथ्य/तथ्यों को नहीं छिपाया है।

स्थानः

दिनांकः

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

प्ररूप–ड

(नियम 35 (1) देखिए)

विनियामक प्राधिकरण को शिकायत

अधिनियम की धारा 31 के अधीन शिकायत

प्राधिकरण कार्यालय के उपयोग हेतु :

प्रस्तुत किए जाने की तारीख .....

डाक से प्राप्ति की तारीख .....

शिकायत क्रमांक .....

हस्ताक्षर .....

पंजीयन .....

विनियामक प्राधिकरण कार्यालय में (स्थान का नाम)

मध्य

.....शिकायतकर्ता

तथा

.....प्रत्यर्थी

दावे के ब्यौरेः

1. शिकायतकर्ता की विशिष्टियां :

   (एक) शिकायतकर्ता का नामः

   (दो) शिकायतकर्ता के वर्तमान कार्यालय/निवास का पताः

   (तीन) समस्त सूचनाओं की तामीली हेतु पताः

2. प्रत्यर्थी की विशिष्टियां :

   (एक) प्रत्यर्थी का नामः

   (दो) प्रत्यर्थी के कार्यालय का पताः

   (तीन) समस्त सूचनाओं की तामीली हेतु पताः

3. विनियामक प्राधिकरण का क्षेत्राधिकारः

   शिकायतकर्ता यह घोषणा करता है कि दावे की विषयवस्तु विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के भीतर आती है।

4. वाद के तथ्यः

   (शिकायतकर्ता हेतु तथ्यों तथा आधारों का एक संक्षिप्त विवरण दें)?

5. चाही गई राहतः

   उपर्युक्त पैराग्राफ 4 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता निम्नलिखित राहत के लिये प्रार्थना करता है .....

   (राहत के आधारों का उल्लेख करते हुए चाही गई राहत तथा विधिक उपबंध (यदि को जिस पर निर्भर है; नीचे विनिर्दिष्ट करें))

6. अंतरिम आदेश, यदि प्रार्थना की गई हैः

   शिकायतकर्ता पर लंबित आदेश जिस पर शिकायतकर्ता ने निम्नलिखित अंतरिम आदेश चाहा है (यहां कारण सहित प्रार्थित अंतरिम आदेश की प्रकृति बताएं)

7. मामला अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, यदि :

शिकायतकर्ता यह और घोषणा करता है कि यह मामला जिसके संबंध में शिकायत किया गया है, किसी विधि के न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकरण या अन्य किसी अधिकरण/अधिकरणों के समक्ष विचारधीन नहीं है।

8. नियम 36 के उपनियम (1) के अनुसार शुल्क के संबंध में बैंक ड्राफ्ट के विवरण:

(एक) राशि

(दो) बैंक का नाम जिससे आहरित किया जाए

(तीन) डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक/बैकर्स चेक क्रमांक /ऑनलाईन लेन–देन संख्या

9. संलग्नकों की सूची:

(शिकायत के साथ संलग्नकों के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)

सत्यापन

मैं .....(पूरा नाम बड़े अक्षरों में) पुत्र/पुत्री ....अपीलार्थी एतद् द्वारा, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि पैराग्राफ (1 से 9) की अपील मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है और यह कि मैने किसी भी तथ्य/तथ्यों को नहीं छिपाया है।

स्थान:

दिनांक: **शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर**

प्ररूप–ढ

(नियम 36 (1) देखिए)

निर्णयकर्ता अधिकारी को आवेदन

भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 71 के अधीन क्षतिपूर्ति हेतु दावा

निर्णयकर्ता अधिकारी के कार्यालय के उपयोग हेतु :

प्रस्तुत किए जाने की तारीख .....

डाक से प्राप्ति की तारीख .....

आवेदन क्रमांक .....

हस्ताक्षर .....

प्राधिकृत अधिकारी .....

समक्ष निर्णयकर्ता अधिकारी का कार्यालय (स्थान का नाम)

मध्य

.....आवेदक / आवेदकों

तथा

.....प्रत्यर्थी / प्रत्यर्थियों

दावे के ब्यौरेः

1. शिकायतकर्ता की विशिष्टियां :

(एक) शिकायतकर्ता का नामः

(दो) शिकायतकर्ता के वर्तमान कार्यालय / निवास का पताः

(तीन) समस्त सूचनाओं की तामीली हेतु पताः

(चार) आबंटिती के प्रकोष्ठ, भूखण्ड या भवन का विवरण

2. प्रत्यर्थी की विशिष्टियां :

(एक) प्रत्यर्थी का नामः

(दो) प्रत्यर्थी के कार्यालय का पताः

(तीन) समस्त सूचनाओं की तामीली हेतु पताः

(चार) पंजीयन क्रमांक एवं परियोजना का पताः

3. निर्णयकर्ता अधिकारी का क्षेत्राधिकारः

शिकायतकर्ता यह घोषणा करता है कि दावे की विषयवस्तु विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के भीतर आती है।

4. वाद के तथ्यः

(शिकायतकर्ता हेतु तथ्यों तथा आधारों का एक संक्षिप्त विवरण दें)?

5. चाही गई क्षतिपूर्तिः

उपर्युक्त पैराग्राफ 4 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता निम्नलिखित क्षतिपूर्ति के लिये प्रार्थना करता है .....

(क्षतिपूर्ति के आधारों का उल्लेख करते हुए चाही गई क्षतिपूर्ति तथा विधिक उपबंध (यदि को जिस पर निर्भर है; नीचे विनिर्दिष्ट करें))

6. किसी अन्य न्यायालय में दावा आदि लंबित नही है:

शिकायतकर्ता यह और घोषणा करता है कि यह मामला जिसके संबंध में शिकायत किया गया है, किसी विधि के न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकरण या अन्य किसी अधिकरण/अधिकरणों के समक्ष विचारधीन नहीं है।

7. नियम 36 के उप–नियम (1) के निबंधन शुल्क के संबंध में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक का विवरण:

(एक) राशि

(दो) बैंक का नाम जिससे आहरित किया जाए

(तीन) डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक/बैकर्स चेक क्रमांक /ऑनलाईन लेन–देन संख्या

8. संलग्नकों की सूची:

(आवेदन के साथ संलग्नकों के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)

सत्यापन

मैं .....(पूरा नाम बड़े अक्षरों में) पुत्र/पुत्री ....अपीलार्थी एतद्द्वारा, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि पैराग्राफ 1 से 8 की अपील मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है और यह कि मैने किसी भी तथ्य/तथ्यों को नहीं छिपाया है।

स्थान:

दिनांक: **शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर**

प्ररूप–ण

(नियम 37 देखिए)

लेखा का वार्षिक विवरण

लेखा की प्राप्तियां और भुगतान
समाप्त होने वाले वर्ष के लिये.....

(रूपयों में)

खाता कोड	प्राप्तियां	चालू वर्ष में	पूर्व वर्ष में	खाता कोड	भुगतान	चालू वर्ष में	पूर्व वर्ष में
1.	अधोनीत शेष में			13.	अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा		
1.1.	बैंक में			13.1.	वेतन तथा भत्तों द्वारा		
1.2.	हाथ में नकद			13.2.	अन्य लाभों द्वारा		
2.	फीस, प्रभार तथा जुर्माना			13.3	यात्रा व्ययों द्वारा		
2.1.	फीस में			13.3.1.	विदेशों द्वारा		
2.2.	प्रभार में			13.3.2.	देश द्वारा		
2.3.	जुर्माना में			14.	अधिकारियों द्वारा		
2.4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			14.1.	वेतन तथा भत्तों द्वारा		
3.	अनुदान			14.2.	सेवानिवृत्ति लाभों द्वारा		
3.1.	सरकार के साथ लेखा			14.3.	अन्य लाभों द्वारा		
3.2.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			14.4	यात्रा व्ययों द्वारा		
4.	उपहार			14.4.1.	विदेशों द्वारा		
5.	सेमिनार तथा			14.4.2.	देश द्वारा		